राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 20 अप्रैल, 2010 / 30 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 9 अप्रैल, 2010

संख्याः वि0स0–लैज–गवरनमैंट बिल / 1–18 / 2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक–7) जो आज दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को हिमाचल

प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2010 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

धारा 2 का संशोधन ।

1994 का 4

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (13–ख) में "(राजस्व)" कोष्ठक और शब्द के स्थान पर "(अपील)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी नगरपालिका में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है तो वह किसी सभा क्षेत्र में मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार नहीं होगा।"।

धारा 5 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में "तथा अक्तूबर मास के प्रथम रविवार" शब्दों के स्थान पर "के प्रथम रविवार तथा द्वितीय अक्तूबर" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु कोई व्यक्ति सतर्कता समिति के सदस्य के रूप में चयनित होने, और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो जाएगा यदि उसने, खण्ड (छ) के अधीन वर्णित निरर्हता के सिवाए, धारा 122 की उपधारा (1) में वर्णित कोई भी निरर्हता उपगत की हो।"।

धारा 7–क का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 7–क की उपधारा (5) में "15 प्रतिशत" और "एक तिहाई" अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "50 प्रतिशत" और "आधा" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115 का प्रतिस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"**115. बकाया की वसूली.–**इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किसी अन्य रीति में वसूलीय होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, जल दर, किराया, फीस के बकाया के रूप में कोई रकम या पंचायत द्वारा दावा योग्य कोई अन्य धन, कलक्टर द्वारा भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा :

परन्तु राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 के अधीन किसी अन्य अधिकारी को कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।"।

धारा 118 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत के लेखे महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित किए जा सकेंगे और उसकी पहुंच पंचायतों की सुसंगत सूचना और अभिलेखों तक होगी।"।

धारा 138 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 138 की उपधारा (1) में "किसी पंचायत द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या ग्राम सभा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. मूल अधिनियम की धारा 144 में,–– धारा 144 का संशोधन ।

(क) शीर्षक में ", वस्तुएं तथा धन" चिन्ह और शब्दों के स्थान पर "तथा वस्तुएं" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में "या धन" शब्द जहां–जहां आते हैं, का लोप किया जाएगा; और

(ग) उपधारा (3) में खण्ड (क) का लोप किया जाएगा।

11. मूल अधिनियम की धारा 181 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–– धारा 181 का प्रतिस्थापन ।

"**181. अपीलें.–**––इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित समय के भीतर और विहित रीति में,––

(i) उप–मण्डल अधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में उपायुक्त को;

(ii) उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में मण्डलायुक्त को; और

(iii) मण्डलायुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में वित्तायुक्त (अपील) को;

अपील कर सकेगा और वह 90 दिन की अवधि के भीतर अपील की सुनवाई करेगा तथा निपटारा करेगा और जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"।

उद्देष्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अधीन ग्राम सभा की बैठकें वर्तमानतः प्रत्येक वर्ष की हर तिमाही के प्रथम रविवार को की जाती हैं, अब यह प्रस्तावित किया गया है कि चौथी तिमाही की ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष 2 अक्तूबर को आयोजित की जाए। पूर्वोक्त अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध, व्यक्तियों की निर्वाचक के रूप में ग्राम सभा के साथ साथ नगरपालिका के लिए भी निर्वाचक सूची में दोहरे रजिस्ट्रीकरण को वर्जित नहीं करते हैं, इसलिए, दोहरे रजिस्ट्रीकरण को रोकने के लिए व्यक्तियों के ग्राम सभा और नगरपालिका में एक साथ निर्वाचक के रूप में ऐसे दोहरे रजिस्ट्रीकरण को वर्जित करने हेतु समुचित उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता समितियों के सदस्य के लिए अधिनियम में कोई निरर्हता उपबंधित नहीं की गई है, अतः सतर्कता समिति की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सर्तकता समिति के सदस्य के लिए खण्ड (छ) के अंतर्गत वर्णित निरर्हता के सिवाए उन समस्त निरर्हताओं को लागू करना आवश्यक समझा गया है जो वर्तमान में अधिनियम की धारा 122 के अधीन पंचायतों के पदाधिकारियों के लिए हैं ताकि संदिग्ध प्रकृति और भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले लोगों को सतर्कता समितियों में प्रवेश पाने से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उप ग्राम सभा से समस्त परिवारों का पचास प्रतिशत मनोनीत करने हेतु उपबन्ध किया जा रहा है जिसमें से आधी महिलाएं होनी चाहिए। पंचायतों से सम्बन्धित धन की वसूली के प्रयोजन के लिए यह भी प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरकार को किसी अधिकारी को कलक्टर नियुक्त करने के लिए सशक्त बनाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत की निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा करने हेतु महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश को प्राधिकृत करना सुनिश्चित किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

जय राम ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ....., 2010

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 7 राज्य सरकार को पंचायतों को देय किसी कर या किसी अन्य धन के बकाया की वसूली के प्रयोजन के लिए कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

Bill No. 7 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2010

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).

Be it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2010.

Amendment of Section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in clause (13-B), for the brackets and word "(Revenue)", the brackets and word "(Appeals)" shall be substituted. 4 of 1994

Amendment of Section 4.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3), after existing proviso, the following second proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that no person shall be entitled to be registered in the list of voters of a Sabha area if he is already registered as a voter in a Municipality.".

Amendment of Section 5.

4. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "October and it", the words and sign "on second October. It" shall be substituted.

Amendment of Section 7.

5. In section 7 of the principal Act, after sub-section (4), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the vigilance committee if he has incurred any of the disqualification mentioned in sub-section (1) of section 122, except the disqualification mentioned under clause (g).".

Amendment of Section 7-A.

6. In section 7-A of the principal Act, in sub-section (5), for the figures, sign and words "15%" and "one-third", the figures, signs and words "50%" and "one-half" shall respectively be substituted.

Substitution of Section 115.

7. For section 115 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"115. Recovery of arrears.— Any amount on account of arrears of any tax, water rate, rent, fee or any other money claimable by a Panchayat under this Act besides being recoverable in any other manner provided by this Act, may be recovered by the Collector, as arrear of land revenue:

Provided that the State Government may appoint any other officer to exercise the powers of the Collector under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (6 of 1954).".

Amendment of Section 118.

8. In section 118 of the principal Act, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the accounts of Panchayat may be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh and shall have access to relevant information and records of the Panchayats.".

Amendment of Section 138.

9. In section 138 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "by a Panchayat", the words "or Gram Sabha" shall be inserted.

Amendment of Section 144.

10. In section 144 of the principal Act,—

(a) in the heading, for the sign and words ",articles and money", the words "and articles" shall be substituted.;

(b) in sub-section (1), the words "or money" wherever these occur, shall be omitted.; and

(c) in sub-section (3), clause (a) shall be omitted.

Substitution of Section 181.

11. For section 181 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"181. Appeals.—Notwithstanding anything contained in this Act, any person aggrieved by an order made by the authorised officer under this chapter may, within the prescribed time and in the prescribed manner, appeal—

(i) in case the order is passed by the Sub-Divisional Officer, to the Deputy Commissioner;

(ii) in case the order is passed by the Deputy Commissioner, to the Divisional Commissioner; and

(iii) in case the order is passed by the Divisional Commissioner, to the Financial Commissioner (Appeals);

and he shall hear and dispose of the appeal within period of 90 days and his decision shall be final.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently Gram Sabha meetings are convened on first Sunday of each quarter every year under section 5 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. Now, it is proposed that Gram Sabha meeting of fourth quarter may be convened on 2nd October every year. Existing provisions of the Act *ibid* do not debar dual registration of persons as electors simultaneous in the electoral rolls for a Gram Sabha as well as in a Municipality, therefore, in order to curb dual registration, suitable provisions are proposed to be made for debarring such dual registration of persons as electors simultaneously in Gram Sabha as well as Muncipality. Further, for the member of Vigilance Committees, there is no disqualification provided in the Act, therefore, keeping in view role of Vigilance Committee, it has been felt necessary to make applicable all those disqualifications for the member of Vigilance Committee which are presently for the office bearers of Panchayats under section 122 of the Act ibid, except the disqualication mentioned under clause (g), so that the people having dubious nature and tainted background are restricted from entering into the Vigilance Committees. Further in order to ensure the quorum in Gram Sabha, provision is being made for nominating 50% of the total families from Up Gram Sabha, out of which one-half shall be women. It has also been proposed to empower the State Government to appoint any officer to be the Collector for the purpose of recovery of money belonging to Panchayats. Further in order to ensure proper utilization of funds of the Panchayats, it has been decided to authorize the Accountant General, Himachal Pradesh to conduct the audit of the Panchayati Raj Institutions.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

JAI RAM THAKUR,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The ....., 2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 7 of the Bill seeks to empower the State Government to appoint any officer to exercise the powers of Collector for the purpose of recovery of arrears of any tax or any other money due to Panchayats. The proposed delegation of power is essential and normal in character.